57

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष– एम0 के0 सिंह,
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 923–तीन/09 विरूद्ध आदेश, दिनाक 28–5–2009 पारित द्वारा अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण कमांक 101/08–09 अपील.

1 Laturiya, S/o Shri Chand, aged-about 70 years, R/o Batthokhar, The Sabalgarh Distt. Morena (M.P.)
2 Pachya, S/o Shri Naktu aged-about 60 years, R/o Batthokhar, The Sabalgarh Distt. Morena (M.P.)
3 Saimaddin, S/o Shri Gulab Khan, Aged about 50 years R/o Batthokhar, The Sabalgarh Distt. Morena (M.P.)
4 Bhoop Singh, S/o Shri Mula aged about 40 years R/o Batthokhar, The Sabalgarh Distt. Morena (M.P.)
5 Roop Singh, S/o Shri Mula aged-about 40 years R/o Batthokhar, The Sabalgarh Distt. Morena (M.P.)
6 Shishu Pal S/o Shri Sugun lal aged about 50 years R/o Batthokhar, The Sabalgarh Distt. Morena (M.P.)
7 Roopa Singh S/o Shri Kishan Lal aged about 40 years R/o Batthokhar, The Sabalgarh Distt. Morena (M.P.)
8 Kunwar Pal S/o Shri Mangaliya aged about 55 years R/o Batthokhar, The Sabalgarh Distt.

Morena (M.P.)

9 year, Batthokhar, Teh. Sabalgarh Distt. Hariwan S/o Mangaliya aged about 45 Morena (M.P.)

10 Amar Lal S/o Shri Mangaliya, aged about 40 years R/o Batthokhar, Teh Sabalgarh Distt. Morena (M.P.)

11 Munna S/o Shri Mangaliya aged about 50 years, R/o Batthokhar, Teh. Sabalgarh Distt. Morena (M.P.)

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1 The Additional Commissioner Chambal Division Morena (M.P.)

2 The Sub Divisional Officer, Sabalgarh Distt. Morena (M.P.)

3 The Station House Officer, Police Station Sabalgarh, Distt Morena (M.P.)

–अनावेदकगण

श्री डी0 एस0 चौहान, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री बी0 एन0 त्यागी, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6-9-2016को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के द्वारा प्रकरण कमांक 101/08–09/अपील में पारित आदेश दिनांक 28–5–2009 के विरूद्ध म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गयी है ।

2/ प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम बतोखर तहसील सबलगढ़ में स्थिति विवादित भूमि सर्वे कमांक 711 रकबा 4.04 हैक्टेयर जो कि कोटवार बतोखर की सेवा खाते की भूमि है । पटवारी मौजा द्वारा तहसीलदार सबलगढ़ को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि सर्वे कमांक 711 रकबा 4.04 हैक्टेयर में से निगरानीकर्तागण 1 लगायत 11 द्वारा सरसों की फसल बोकर अवैध कब्जा कर लिया गया है । तहसीलदार, सबलगढ़ द्वारा 1 लगायत 11/2008–09/अ–68 पर प्रकरण पंजीबद्ध करते हुये आदेश दिनांक 18–11–2008 से निगरानीकर्तागण को विवादित भूमि से बेदखल किये जाने के आदेश दिये गये । निगरानीकर्तागण द्वारा विवादित भूमि पर से कब्जा न हटाये जाने के कारण तहसीलदार सबलगढ़ द्वारा दिनांक 12–1–2009 से निगरानीकर्तागण को सिविल जेल भेजे जाने बाबत संहिता की धारा 248 (2) के अंतर्गत कार्यवाही करने बाबत प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी, सबलगढ़ को भेजे गये। अनुविभागीय अधिकारी, सबलगढ़ द्वारा आदेश दिनांक 19–3–2009 से निगरानीकर्तागण को 15 दिवस के लिये सिविल जेल में परिरूद्ध रखने का आदेश दिया गया । अनुविभागीय अधिकारी, सबलगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–3–2009 से परिवेदित होकर निगरानीकर्तागण द्वारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष पृथक पृथक अपीलें प्रस्तुत की गयी । अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा आदेश दिनांक 28–5–2009 से उक्त सभी अपीलों को अस्वीकार किया गया । परिणामतः निगरानीकर्तागण द्वारा उक्त 11 अपीलों के विरूद्ध यह एक निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है ।

3/ प्रकरण में निगरानी मेमों में उठाये गये बिन्दुओं के संबंध में निगरानीकर्तागण के विद्वान अभिभाषक एवं शासकीय अभिभाषक के तर्क सुने गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त प्रकरण पत्रिकाओं का परिशीलन किया गया ।

4/ अभिलेख के अवलोकन करने से यह तथ्य सामने आया है कि पटवारी मौजा द्वारा तहसीलदार सबलगढ़ के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया गया कि ग्राम बतोखर में स्थित विवादित भूमि सर्वे कमांक 711 रकबा 4.04 हैक्टेयर जो कि कोटवार के सेवा खाते की भूमि है, पर निगरानीकर्तागण ने सरसों की फसल बोकर कब्जा कर लिया है । तहसीलदार सबलगढ द्वारा निगरानीकर्तागण के विरूद्ध संहिता की धारा 248 के अंतर्गत 11 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये जो प्रकरण कमांक 1 लगायत 11/08–09/अ–68 पर दर्ज हुये । तहसीलदार द्वारा दिनांक 18–11–2008 से बेदखली का आदेश दिया गया किन्तु निगरानीकर्तागणों ने बेजा कब्जा नहीं हटाया गया । फलस्वरूप तहसीलदार सबलगढ़ द्वारा दिनांक 12–1–2009 को संहिता की धारा 248 (2) के अंतर्गत निगरानीकर्तागणों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने बाबत प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी, सबलगढ को प्रेषित किये गये । अनुविभागीय अधिकारी सबलगढ़ द्वारा भी इन 11 प्रकरणों को प्रकरण कमांक 1 लगायत 11/2008–09/अ–68 पर दर्ज करते हुये आदेश दिनांक 19–3–2009 से निगरानीकर्तागण को 15–15 दिन के लिये सिविल जेल में परिरूद्ध रखने का आदेश दिया गया । उक्त आदेश के विरूद्ध भी निगरानीकर्तागणों ने पृथक–पृथक 11 अपीलें अपर आयुक्त, चंबल सभांग, मुरैना के समक्ष प्रस्तुत की गयीं जो प्रकरण कमांक 101 लगायत 111/2008–09/अपील पर दर्ज होकर आदेश दिनांक 28–5–2009 से अस्वीकार की गयी हैं । निगरानीकर्तागणों को भी इस न्यायालय में पृथक पृथक निगरानियां प्रस्तुत करना चाहिये थी । इस प्रकार 11 प्रकरणों के विरूद्ध एक ही निगरानी प्रस्तुत किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है ।

5/ निगरानीकर्तागण के विद्वान अभिभाषक द्वारा माननीय व्यवहार न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने का उल्लेख निगरानी मेमों में किया गया है । इस संबंध में अपर आयुक्त चंबल संभाग, मुरैना द्वारा आदेश में विवेचना की गई है । माननीय व्यवहार न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन रहने का प्रश्न है, तो प्रकरण के विचाराधीन होने के कारण राजस्व न्यायालय में प्रचलित प्रकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है । निगरानीकर्तागण अभिभाषक द्वारा व्यवहार न्यायालय से न तो स्थगन आदेश लाकर

प्रस्तुत किया गया न राजस्व न्यायालय द्वारा प्रचलित कार्यवाही को रोक जाने के संबंध में कोई आदेश प्रस्तुत किया जा सका । इस प्रकरण में विवादित भूमि कोटवार के सेवा खाते की भूमि है । सेवा खाते की भूमि पर निगरानीकर्तागणों के द्वारा अतिकमण किया गया है । इस प्रकार की भूमियां संहिता की धारा 183 के अंतर्गत शासकीय भूमि कहलाई गयी है तथा इस प्रकार की भूमि किसी डिकी के निष्पादन में भी कुर्क नहीं की जा सकती है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये तथ्यों के आधार पर समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिन्हें इस निगरानी में हस्तक्षेप किये जाने का कोई न्यायोचित आधार नहीं है । परिणामतः तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश यथावत रखे जाते हैं तथा निगरानी सारहीन होने के कारण निरस्त की जाती है ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश
ग्वालियर